भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3315

उत्तर देने की तारीख 16 दिसंबर, 2024

सोमवार, 25 अग्रहायण 1946 (शक)

उच्च मांग वाले और अपारंपरिक करियर को बढ़ावा देना

3315. श्री राजू बिष्ट:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उच्च मांग वाले और अपारंपरिक करियर को बढ़ावा देने के लिए कोई उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उच्च मांग वाले और अपारंपरिक करियर के लिए किशोर लड़कियों और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नीतियां बनाई हैं/शुरू की हैं और यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी नीतियों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए क्या उपाए किए गए हैं;

(ग) सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान कौशल प्रशिक्षण संस्थानों के संवर्धन के लिए की गई नई अवसंरचनात्मक विकास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) दार्जिलिंग, कलिमपोंग और उत्तरी दिनाजपुर जिलों में अवसंरचनात्मक विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बजट की कितनी धनराशि प्रयुक्त की गई है; और

(ङ) देश में इस समय प्रचालित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या संबंधी डेटा क्या है और विश्व में ऐसे संस्थानों की अवसंरचना में कौन-सा स्थान है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) भारत सरकार के कुशल भारत मिशन (एसआईएम) के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न स्कीमों अर्थात प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से महिलाओं सहित देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करना है। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना और उन्हें उद्योग से संबंधित कौशल से युक्त करना है।

पीएमकेवीवाई 4.0 सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स जैसे विभिन्न उच्च मांग वाले और गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करता है। क्षेत्र कौशल परिषद (एसएससी) के सहयोग से, उच्च-विकास वाले उद्योगों अभिनिर्धारित की गई है और क्षेत्र-विशिष्ट कौशल कार्यक्रम तैयार किए गए हैं, जिससे अर्थव्यवस्था के लिए उनकी प्रासंगिकता सुनिश्चित हो सके। पीएमकेवीवाई के अंतर्गत, आधुनिक युग/भविष्य के कौशल वाली रोजगार भूमिकाओं को आगामी बाजार-मांग और उद्योग की आवश्यकताओं के लिए एआई/एमएल, रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी आदि जैसे क्षेत्रों में उद्योग 4.0 की आवश्यकताओं के साथ विशेष रूप से संरेखित किया गया है।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के तत्वावधान में प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) ने कृत्रिम मेधा, मेक्ट्रोनिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सुरक्षा, सेमीकंडक्टर आदि जैसे उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सीटीएस के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) में 29 आधुनिक युग/भविष्य कौशल पाठ्यक्रम भी शुरू किए हैं।

(ख) कौशल विकास कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, परिवहन तथा बोर्डिंग और लॉजिंग पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा, पीएमकेवीवाई 4.0 उन परियोजनाओं को प्राथमिकता देता है और उन पर विशेष ध्यान देता है जो महिलाओं को प्राथमिक लाभार्थी के रूप में महत्व देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, रिटेल, हेल्थकेयर, ब्यूटी और वेलनेस, हस्तशिल्प और परिधान जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम महिलाओं की अधिक भागीदारी को आकर्षित करने के लिए बनाए गए हैं। परियोजनाओं को स्थानीय कौशल मांगों के साथ संरेखित करने के लिए तैयार किया गया है, जिससे ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास योजनाओं में भाग लेने और लाभ उठाने के अवसर मिलते हैं। यह समावेशी दृष्टिकोण देश भर में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व और लाभ सुनिश्चित करता है। जेएसएस स्कीम के अंतर्गत महिलाओं और अन्य कमजोर वर्गों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। जेएसएस के तहत लाभार्थियों में 80% से अधिक महिलाएँ हैं।

इसके अलावा, 19 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (एनएसटीआई) और 300 से अधिक आईटीआई विशेष रूप से महिलाओं के लिए हैं। भारत सरकार ने सभी आईटीआई (सरकारी और निजी) में सभी पाठ्यक्रमों में महिला उम्मीदवारों के लिए 30% सीटों के आरक्षण को मंजूरी दी है और ये सीटें प्रत्येक संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सामान्य आरक्षण नीति के आधार पर भरी जा सकती हैं।

नीति आयोग द्वारा पीएमकेवीवाई के मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल लगभग 94 प्रतिशत नियोक्ताओं ने बताया कि वे पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षित अधिक उम्मीदवारों को नियुक्त करेंगे। इसके अलावा, पूर्णकालिक/अंशकालिक रोजगार में नियोजित किए गए और आरपीएल घटक के अंतर्गत उन्मुख 52 प्रतिशत उम्मीदवारों को

उच्च वेतन मिला या उन्हें लगा कि उन्हें अपने अप्रमाणित साथियों की तुलना में अधिक वेतन मिलेगा। 2020 में जेएसएस स्कीम के मूल्यांकन अध्ययन में पाया गया है कि इस योजना ने उन लाभार्थियों की घरेलू आय को लगभग दोगुना करने में मदद की है, जिन्हें जेएसएस प्रशिक्षण के बाद रोजगार मिला या वे स्व-रोजगार कर रहे थे। इस अध्ययन में पाया गया है कि 77.05% लाभार्थी प्रशिक्षुओं ने व्यावसायिक बदलाव किए हैं। एमएसडीई द्वारा वर्ष 2018 में प्रकाशित आईटीआई स्नातकों के ट्रेसर अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि कुल आईटीआई उत्तीर्णों में से 63.5% को रोजगार (जिनमें से 6.7% स्व-रोजगार में हैं) मिला । वर्ष 2021 में आयोजित एनएपीएस के तृतीय पक्ष मूल्यांकन अध्ययन में पाया गया है कि इस स्कीम ने विभिन्न उद्योगों में शिक्षुओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ, संरचित ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण प्रदान करके युवाओं की नियोजनीयता को सफलतापूर्वक बढ़ाया है।

(ग) कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एमएसडीई द्वारा आवश्यकता के आधार पर की जाती है। एमएसडीई की योजनाओं के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(घ) उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत जिलों को सीधे निधि जारी नहीं की जाती है। पीएमकेवीवाई और जेएसएस स्कीमों के अंतर्गत, निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रशिक्षण लागत को पूरा करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि जारी की जाती है। जेएसएस स्कीम के अंतर्गत, निधि सीधे गैर-सरकारी संगठनों को जारी की जाती हैं। एनएपीएस के अंतर्गत, प्रतिष्ठानों को वृत्तिका सहायता के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है। आईटीआई के संबंध में दैनिक प्रशासन के साथ-साथ वित्तीय नियंत्रण संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पास होता है।

(ङ) वर्तमान में, देश भर में 19 एनएसटीआई (महिला) सहित 33 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (एनएसटीआई) चल रहे हैं। शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण स्कीम (सीआईटीएस) के अंतर्गत, प्रशिक्षक प्रशिक्षुओं को व्यावहारिक कौशल और प्रशिक्षण पद्धति दोनों में व्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि उन्हें व्यावहारिक कौशल हस्तांतरित करने और कुशल जनशक्ति को प्रशिक्षित करने की तकनीकों से परिचित कराया जा सके। कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एनएसटीआई भारत में प्रमुख संस्थान हैं।

अनुबंध

'उच्च मांग वाले और अपारंपरिक करियर को बढ़ावा देना' के संबंध में दिनांक 16.12.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3315 के भाग (ग) के उत्तर के संदर्भ में

एमएसडीई की स्कीमों के अंतर्गत स्थापित/संबद्ध कौशल प्रशिक्षण संस्थानों का राज्य-वार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएमकेवीवाई केंद्र	जेएसएस केंद्र	एनएपीएस प्रतिष्ठान	आईटीआई	
				सरकारी आईटीआई	निजी आईटीआई
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7	1	15	3	1
आंध्र प्रदेश	405	6	1,097	85	437
अरुणाचल प्रदेश	85	0	22	7	0
असम	811	6	923	31	16
बिहार	588	21	505	150	1,231
चंडीगढ़	9	1	153	2	0
छत्तीसगढ	196	14	303	120	112
दिल्ली	204	3	5,768	18	36
गोवा	8	1	473	11	2
गुजरात	367	8	12,040	278	233
हरियाणा	597	2	5,689	160	227
हिमाचल प्रदेश	198	11	703	128	145
जम्मू और कश्मीर	650	1	517	49	1
झारखंड	237	13	418	77	274
कर्नाटक	425	12	2,260	275	1,230
केरल	138	9	1,796	149	315
लद्दाख	11	0	16	3	0
लक्षद्वीप	1	1	1	1	0
मध्य प्रदेश	1,465	29	1,078	195	826
महाराष्ट्र	659	21	8,639	422	625
मणिपुर	161	4	22	10	0
मेघालय	97	1	36	7	1
मिजोरम	96	1	19	3	0
नागालैंड	89	1	20	9	0
ओडिशा	304	29	707	75	451
पुदुचेरी	19	0	232	8	7
पंजाब	603	2	882	116	234
राजस्थान	1,565	9	921	184	1,420
सिक्किम	37	0	67	4	0
तमिलनाडु	552	9	2,724	93	411
तेलंगाना	143	6	1,243	66	237
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	9	2	123	4	0
त्रिपुरा	148	2	95	20	2
उत्तर प्रदेश	2,838	47	6,171	292	2,990
उत्तराखंड	224	8	696	104	80
पश्चिम बंगाल	325	8	1,244	168	141

*****